राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास)

कमांक एफ 2 (5)ग्रावि/अनु.8/मीटिंग/2015/

दिनांक: 12-01-2017

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का दिनांक 21.12.2016 का प्रातः 9.30 बजे इन्दिरा गॉधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान किया गया । बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों की सूची परि.–"1" पर सलग्न है ।

सर्वप्रथम शासन सचिव एंव आयुक्त महात्मा गॉधी नरेगा योजना द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिभागीगण का स्वागत करते हुए महात्मा गॉधी नरेगा योजना के संबंध में की गई बजट घोषणाओं के संबंध में जिलों से बार–बार सूचनाएं चाहे जाने के उपरान्त भी वित्तीय वर्ष की तीन चौथाई अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नही करवाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई । अतिरिक्त आयुक्त महात्मा गॉधी नरेगा योजना के द्वारा एजेण्डा बिन्दुवार प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्य में अच्छी प्रगति वाले (40 प्रतिशत से अधिक) 5 जिलों करोली, भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं झुंझुनूं की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया गया। आधार बेस डाटा फिडिंग के कार्य में सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बीकानेर, प्रतापगढ, पाली एवं डूँगरपुर में 31.12.2016 तक आधार फिडिंग का कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया । इस संबंध में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य नोडल अधिकारी श्री मुकेश विजय से सम्पर्क किया जा सकता है।

इसके पश्चात् निम्नलिखित 5 बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है–

1. ज्वाईन्ट एकाउन्ट डिटेल्स
2. जोब कार्ड का वेरीफिकेशन : इसमें करोली जिले में सबसे कम कार्य 39 प्रतिशत हुआ है।
3. जिओ टेगिंग : राज्य में वर्तमान तक पूर्ण 9.70 लाख कार्यो की आई.डी.जनरेट करवाकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करवाई जाकर 31 मार्च, 2017 तक जिओ टेगिंग करने के शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये ।
4. एम.बी.टार्गेट के तहत माह अक्टूबर, 2016 तक के सृजित मानव दिवस
5. विलंब से भुगतान के प्रकरण

इस पर शासन सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा महात्मा गॉधी नरेगा योजना के तहत लिए जा रहे केटल शैड्स के निर्माण में आ रही अनियमितताओं के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण से इनका निरीक्षण कर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये कि इनका उपयोग आवास योजना के कमरों की भॉति तो नही हो रहा है, क्या इनमें पक्का फर्श डलवाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूह के साथ महात्मा गॉधी नरेगा रोजगार कार्ड की मुख्यमंत्री घोषणा के संबंध में केटेगरी बी में 1.00 लाख के लक्ष्यों में से इस वर्ष मार्च, 2017 तक 60,000 एवं अगले वर्ष 40,000 लिए जान है, जिसमें से मात्र 8,000 ही लाभान्वित किए गये हैं । इस संबंध में उदयपुर जिले में लक्ष्यों के विपरीत 520 स्वीकृतिया जारी होनेके संबंध में जिले को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए गये।

शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा अवगत करवाया गया कि मेटेरियल रेशो में 60:40 के अनुपात से अधिक अन्तर आने पर केटेगरी–बी के तहत कार्यो पर लाभार्थी से शेष राशि की अंडरटेकिंग ली जाकर स्वीकृति जारी की जा सकती है । इस हेतु राज्य के 5 जिलों के चयनित कलस्टर में 4–4 महिलाओं की फैडरेशन को पीआईए बनाया गया है, जिनके साथ टेक्निकल पर्सन व डाटा एंट्री आपरेटरके साथ अरावली व राजीविका के स्टाफ से भी कोर्डीनेट किया जा सकता है।

महात्मा गॉधी नरेगा योजना के तहत कनिष्ट तकनीकी सहयकोंकी भर्ती प्रकिया में अभ्यार्थियों के डिप्लोमा/ डिग्री के वेरीफिकेशन हेतु पंचायती राज विभाग की स्पेशल टीम द्वारा यूनिवर्सिटीज को वेरीफाई कर तैयार की गई सूची जिलों को भिजवाने के निर्देश प्रदान किए गये, जिस सूची एवं नेट पर यूजीसी की साईट पर उपलब्ध सूची से मिलान कर ही प्रार्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर भर्ती की जाये।

वर्ष 2007 में स्वीकृत 1571 आंगनबाडी भवनों में से 751 पूर्ण है, इनमें शेष अपूर्ण अपेर्ण भवनों को पूर्ण करवाया जावे तथा अप्रारंभ कार्यो को निरस्त किया जाये। इस कार्य हेतु आंगनबाडी मेंटीनेन्स मद में राशि 20.00करोड रू. अग्रिम दी गई है। अतः इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना है।

निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा अवगत करवाया गया कि विभागीय सूचना के अनुसार 94.23 प्रतिशत आडिट का कार्य हुआ है, जिसके अनुसार 9334 ग्राम सभायें सम्पन्न हुई । आडिट में पाई गई अनियमिततओं की एक्शन टेकन रिपोर्ट अपेक्षित है।

सामाजिक अंकेक्षण साशियल आडिट में कुछ प्रकार की अनियमितताएं बार–बार सामने आ रही है, जिसे रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है इसके साथ ही बकाया वसूली के प्रकरणों में 19.52 लाख रू. की वसूली हुई है।

माह नवम्बर, 2016 से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवासों की जियो टेगिंग का कार्य ही द्वितीय छमाही की सोशियल ओडिट है, जिसे 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण किया जाना है । इस हेतु अन्तर जिला एवं अन्तर पंचायत समिति निरीक्षण दल गठित किये जाने के निर्देश प्रदान किए गये।

इसके उपरान्त ग्रामीण विकास की योजनाओं में अच्छी प्रगति वाले 5 जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – टोंक : महात्मा गॉधी नरेगा योजना की राशि से कर्न्वजेंस कर कार्य करवाए गये : जिलो द्वारा राशि रू. 3533.70 लाख का कर्न्वजेंस कर 2336 कार्य सम्पादित करवाये गये ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – बाडमेर : बी पी एल सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने व अन्य कार्यः जिले के प्रभारी मंत्री जी एवं प्रभारी शासन सचिव महोदय के निर्देशों की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारीगण एवं विकास अधिकारीगण के माध्यम से सघन अभियान चलाकर प्रत्येक ग्राम पचायत में 5 प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम हटाने का कार्य किया गया । मा. सांसद महोदय एवं विधायकगण से समय पर अनुशंषाएं प्राप्त कर समयबद्ध रूप से समस्त स्वीकृतियां जारी कर साप्ताहिक/ पाक्षिक समीक्षा कर कार्यो का सम्पादन करवाया गया । इसी प्रकार सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन से 150 प्रतिशत

राशि की कार्य योजना का अनुमोदन करवाकर समयबद्ध रूप से कार्यो का कियान्वयन करवाया गया।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद –जालोर : मा. सांसद/ विधायकगण से कार्यो की अनुशंषाएं प्राप्त होते ही भूमि स्वामित्व/ उपलब्धता संबंधी समस्त स्वीकृतियां जारी कर प्रति सप्ताह कार्यो की प्रगति के संबंध में वीडियों कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से मोनिटरिंग कर प्रगति अर्जित करवाई गई।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – उदयपुर : इन्दिरा आवास योजना के अच्छी प्रगति अर्जित की गई – इसके तहत स्थानीय समाचार पत्रो में विज्ञापन आदि प्रकाशित करवाकर प्रचार–प्रसार कर अभियान के रूप में 86000 अधूरे आवासों को पूर्ण करवाया गया।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – अलवर : आई डब्लू एम एस –सिस्टम के माध्यम से कार्यवार नियमित समीक्षा कर अपेक्षित प्रगति अर्जित की गई।

इसके उपरान्त एन.आई.सी. की राज्य कोर्डीनेटर श्रीमती सुनीता जी के द्वारा आज ही आई डब्लू एम एस की प्रगति जिला कलक्टर्स/मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण को पाक्षिक रूप से तथा मा.सांसद व विधायक गण को मासिक रूप से एस.एम.एस.के माध्यम से प्रारंभ करने की जानकारी प्रदान करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण से इसमें और सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित किए गये।

इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की ओर से इस सम्बन्ध में एप डवलप करने का आग्रह किया गया, जिससे बार–बार लॉगिंग प्रकिया से ना गुजरना पड़े।

परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस बार गत बैठक की अपेक्षा कम प्रगति परिलक्षित होने का मुख्य कारण जिलों द्वारा माह सितम्बर, 2016 में प्रेषित सी.ए. आडिट रिपोर्ट्स के प्रारंभिक अवशेष (Opening balance) लिया जाना बताया गया । वित्तीय प्रगतिमें गत माह तक राशि 133.00 करोड रू. थी जो इस माह 155.00 करोड रू. है । इसी के साथ बहुत बडी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे, जिससे 1.4.2016 के पश्चात समायोजित यू.सी.की राशि भी ओपनिंग बैलेंसेज में से कम हो गयी है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की अच्छी प्रगति नहीं होने का कारण भारत सरकार से किश्ते रिलीज नही हो पाना है।

लगभग 16 मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, अतः शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा इनके साथ शीघ्र ही विशेष बैठक अथवा कार्यशाला आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण राज्य में 1 अप्रेल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है । इस कम में भारत सरकार द्वारा गत वर्षो के समस्त अपूर्ण आवासों को दिनांक 30.11.2016 तक प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिनके विरूद्ध 26 प्रतिशत ही प्रगति अर्जित रही है। अतः पुनः दिनांक 30 जनवरी, 2017 तक साप्ताहिक लक्ष्य आवंटित कर आवास पूर्ण करवाये जाने के निर्देश प्रदान किए गये है। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्राथमिकता सूची दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 तक प्राप्त आपत्तियों के सबंध में 16 दिसम्बर, 2016 तक प्राथमिकता सूची फाईनल कर आवास सोफ्ट पर अपलोड की जानी थी । जिसमें से अभी 1456 ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता सूची अपडेट हुई है, जबकि 31 दिसम्बर, 2016 तक समस्त स्वीकृतियां जारी की जानी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के अनुसार जो आवास जहॉ पर बनाया जाना है, उसके 2 फोटो सहित 14 बिन्दुओं के वेरीफिकेशन के उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जायेगी। इसमें आवास को पूर्ण करवाने का समय 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष किया गया है । जहां 50 प्रतिशत आवास पूर्ण

हो जायेगे, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किये जाने का प्रावधान है तथा महात्मा गॉधी नरेगा योजना के साथ कर्न्वजेंस भी मेण्डेटरी किया गया है।

सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना –2011 के अनुसार राज्य में 27.24 लाख परिवार सम्मिलित है । भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण में 3 वर्षो हेतु 6.75 परिवारों का लक्ष्य आवंटित किया गया है ।

- मा.मंत्री महोदय द्वारा माह मई, 2016 को आयोजित बैठक में लिये गये 20 निर्णयों एवं दिनांक 20.10.2016 की वीडियो कान्फ्रैंसिग में लिए गये निर्णयों की अनुपालना नही होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया गया कि यदि निर्णयों की पूर्ण मंशा से पालना कर ली जाती तो कार्य समय पर पूर्ण हो सकते थे।
- मा.मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया की एक दिवसीय समीक्षा बैठक में प्रगति की अपेक्षित समीक्षा नही हो पाने के कारण संभाग स्तर मेरे द्वारा नियमित समीक्षा की जावेगी।
- राज्य एवं जिला स्तर पर विकास अधिकारियों का ओरीयेटेंशन प्रोग्राम आयोजित किया जावे ।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मासिक फील्ड विजिट का कार्यक्रम एवं क्षेत्र में कार्यो के निरीक्षण हेतु राज्य स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए जावें ।

- वित्तीय वर्ष की तीन चौथाई अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी इतनी धीमी प्रगति की रफ्तार से आगामी 3 माह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य एवं जिला स्तर से सघन मोनिटरिंग आवश्यक है ।
- विभाग के बकाया जॉच प्रकरणों एवं बकाया आडिट पैराज का समयबद्ध निस्तारण किया जावे ।
- आवास योजनाओं में अधूरे आवासों को पूर्ण करवाने हेतु लाभार्थियों को बैंकों से ऋण दिलवाये जाने क़े संबंध में टाईअप करें ।
- डांग, मगरा मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं की जिले से कार्य प्रस्ताव समय पर प्राप्त नही होने के संबंध में मा.मंत्री महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि इस हेतु राज्य स्तर से कट आफ डेट निर्धारित की जावे एवं उस तिथि के उपरान्त राज्य स्तर से ही योजना तैयार करवाकर अनुमोदित कर दी जावे ।
- ड़ांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं, गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना एवं स्व विवेक जिला विकास योजनाओं में ऐसे कार्य लिये जावे जो दूसरी अन्य योजनाओं में नही लिए जा सके हो विशेषकर सम्पतियों की मंरम्मत के कार्य लिये जाने चाहिए ।
- आवास योजनाओं में अधूरे आवासों को समय पर पूर्ण नही कराये जाने के संबंध में आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध की जावे ।
- बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम सेवक, कनिष्ट अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा तारीख अंकित नही करने के बिन्दु पर ध्यान आकर्षित करने पर मात्र.मंत्री महोदय द्वारा ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ शख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये ।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला जिला परिषद, कोटा, बारा एवं धौलपुर द्वारा डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशानिर्देशों एवं योजनाओं में

सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

- प्रस्तावित कार्यो की प्रशासनिक/तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियों में इतना अधिक समय लगने को गंभीरता से लेते हुए मा.मंत्री महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि आगामी बैठक में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में अन्तर नही दिखना चाहिये तथा कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में भी पूरी जिम्मेदारी जिले की ही होगी, इस हेतु नीचे के स्तर पर गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है ।

थर्ड पार्टी निरीक्षण दल में सेवानिवृत इंजीनियर्स की सेवाएँ ली जावे तथा थर्ड पार्टी मोनिटर्स की नियमित बैठक आयोजित की जावे ।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

6.1.17

(सी.एल.वर्मा)
परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (मो.एवं मूं.)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंसाधन।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास/पंचायतीराज विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
10. समस्त परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मुख्यालय) ग्रामीण विकास विभाग/महात्मा गांधी नरेगा।
11. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई, ग्रामीण विकास।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), राजस्थान।
13. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), राजस्थान।
14. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. को अपलोड करने हेतु।

6.1.17

परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (मो.एवं मूं.)